न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2019 राजस्व अपील

1. बनवारी पुत्र स्व. छीतरमल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी डूंगरी की ढाणी टोरडा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 15.10.2018 तहसीलदार रामगढ पचवारा प्रकरण उनवानी सरकार बनाम बनवारीलाल मु. नं. 68/2018 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री रामबाबू शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 18.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सलेमपुरा ने एक रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष इस आशय की पेश की कि आराजी खसरा नं. 386/37 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि किस्म बारानी में से करीबन 4 बीघा भूमि पर गैर सायल बनवारी के द्वारा बाजरे की फसल काश्त कर उक्त जमीन पर गैर कानूनी ढंग से अतिचार कर रखा है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई एवं जवाबदेही शहादत सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित कर 50 गुना पेनल्टी एवं तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश फरमा दिये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त आदेश दिनांक 15.10.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.10.2018 विधि विधान एवं कानून की सामान्य प्रक्रिया एवं सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई विधिवत नोटिस जारी नहीं किया एवं अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना दिनांक 15.10.2018 को सजा, पेनल्टी एवं बेदखली के आदेश जारी कर कानून की अवहेलना की है। धारा 91 एल.आर.एक्ट में कार्यवाही पटवारी द्वारा की गई शिकायत पर की गई है। जबकि पंचायत में निहित सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में कार्यवाही केवल पंचायत

अति. जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की शिकायत पर ही की जावेगी। अपीलान्ट के विरूद्ध कोई पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का सबूत पेश नहीं किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2018 निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 15.10.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम बनवारीलाल मु. नं. 68/2018 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 386/37 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से करीबन 4 बीघा भूमि पर बाजरे फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.10.2018 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही तीन माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 15.10.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने 2075 में ग्राम टोरडा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 386/37 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से करीबन 4 बीघा भूमि पर बाजरे फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.10.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 68/2018 उनवानी सरकार बनाम बनवारीलाल में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official